तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
22-04-15	वकील वादीगण उपस्थित। सरकारी पैरोकार एवं जैतारण उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते खारिज खामखा दिनांक 23-04-2015 को पेश हो। डी.के.
23-04-15	वकील वादीगण उपस्थित। सरकारी पैरोकार एवं जैतारण उपस्थित। प्रस्तुत वाद-पत्र मय शपथ-पत्र मय फोटोग्राफ्स का अध्ययन कर बहस वकील वादीगण पर गौर कर अवलोकन किया गया। वास्तव में वादिया मौत होने पर विरासत से सम्बन्धित विवादित राशि का नाम सं 86 मय समय रुपया नेनाराम पिं लक्ष्मणराम के बजाय गलत रूप से पुत्र: वादिया ने गलत रूप से पुत्र: जाहिर शुद्धि-पत्र रूपा नेना बालू पिं वादिया के स्थान पर फुसरत रूपाराम नेनाराम बालूराम पिं लक्ष्मणराम कौम कावेलिया जाट के तहसीलदार, जैतारण का खारिज किये जाने का राजस्व रेकर्ड में तदानुसार दुरुस्त इन्द्राज कर खाता खारिज किया जावें। निर्णय विस्तृत रूप से एवं से लिखाया जावे। तथा डिक्री पत्र एवं से बनाया जावे। साम्मि० हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर लाइब्रेरी से बाहर हो। तहसीलदार, जैतारण को डिक्री की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील जाब्ता हालिया रूपरा। रेकर्ड भण्डार जमा हो। डी.के.

Scanned by CamScanner